

पास
मुख्यतः 2 प्रकार से होंगे – जिले के अंदर और जिले से बाहर

जिले के अंदर मूवमेंट
नगर/शहर मूवमेंट पास

शहर के अंतर या जिला के अंदर विचरण हेतु जो कि आवश्यक सेवा से लगे हुए लोगों को जरूरत पड़ेगी

अंतर जिला मूवमेंट पास
(एक जिले से दूसरे जिला हेतु)

प्रत्येक मामले में एक ही प्रकार (फार्मेट) से पास संबंधित थाना से पास प्राप्त करेंगे। एसएचओ देंगे।

प्रकार –

प्रारूप 'अ'

01. पहला प्रकार एसएचओ थाना जारी करेगा जो कि मेडिकल शॉप, बैंक, हॉस्पिटल, किराना, सब्जी विक्रेता, दुग्ध, अखबार

प्रारूप 'ब'

02. दूसरा प्रकार का पास संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुख जारी करेगा किंतु संबंधित एसएचओ सत्यापित करेगा – एसईसीएल, एनटीपीसी, रेल्वे, हाईकोर्ट से
03. तीसरा प्रकार का पास जो कि राजस्व विभाग (एसडीएम) द्वारा जारी किया जायेगा – राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों हेतु, होमगार्ड, एसडीआरएफ, फायर, परिवहन विभाग हेतु।
04. चौथे प्रकार का पास नगर निगम(कमिश्नर) द्वारा जारी किया जायेगा।